चित्रकूट-पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 19.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 41 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i).उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त तेजपाल पुत्र जियालाल निवासी बाबूपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 21 क्वार्टर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया ।

(ii).उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी राममूरत मिश्रा द्वारा अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र माता प्रसाद निवासी पवारी मदना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवनारायण पुत्र रतीराम निवासी नरयाच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को 02 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

02 किलो गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध मानिकपुर श्री प्रभुनाथ यादव

2.उ0नि0 श्री मुकेश परिहार

3.आरक्षी जलील अहमद

4.आरक्षी विनोद कुमार

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 747/2017 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोटू निषाद पुत्र सीताराम निषाद निवासी भंभेट कालोनी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 506/2017 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामराज पुत्र चुनकावन यादव निवासी बारामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 2000 रूपये का अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अभिराज सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र उदयवीर सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम अगरहुण्डाडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि एक नवयुवक द्वारा फिल्मी स्टाईल अवैध शस्त्र के साथ में रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम हैण्डल पर पोस्ट की थी जिसका संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष रैपुरा द्वारा उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह को युवक की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। आज दिनाँक 19.04.2024 को उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अभिराज सिंह उर्फ भोलू सिंह उपरोक्त को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना रैपुरा मु0अ0सं0 64/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह थाना रैपुरा

2.आरक्षी सूरज निर्मल